



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 27.02.21

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 39 लीटर कच्ची देशी नाजायज शराब यूरिया मिश्रित व लगभग 1 किलो यूरिया खाद व घटना मे प्रयुक्त 2 मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध नियन्त्रण हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चतुर्थ महोदय साहिबाबाद के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना टीला मोड़ श्री रण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 27.2.2021 को थाना हाजा पुलिस द्वारा दौराने गश्त व देखरेख शान्ति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम व अनुपालन लोकडाउन मे राजपुर रोड़ से एक अभियुक्त से 39 लीटर कच्ची देशी नाजायज शराब यूरिया मिश्रित व लगभग 1 किलो यूरिया खाद सहित व घटना मे प्रयुक्त दो अदद स्पलैण्डर मोटर साईकिल रजि 0UP 14BK 3079 तथा मोटर साईकिल स्पलैण्डर रजि0 नं0DL 5SAD 8343 लाकर थाने मे दाखिल की। व 2 अभियुक्त भागने मे सफल हुये। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर मु0अ0स0 86/21 धारा 60/62/72 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण के नाम व पता-

बिजेन्द्र कसाना पुत्र उदयन सिंह नि0 ग्राम जावली थाना टीला मोड़ गा0बाद

आपराधिक इतिहास अभि0गण

1. मु0अ0स0 86/21 धारा 60/62/72 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

39 लीटर कच्ची देशी नाजायज शराब यूरिया मिश्रित व लगभग 1 किलो यूरिया खाद व घटना मे प्रयुक्त दो अदद स्पलैण्डर मोटर साईकिल रजि 0UP 14BK तथा मोटर साईकिल स्पलैण्डर रजि0 नं0 3079DL 5SAD 8343



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी में दो अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 20 अड़्डे अवैध देशी शराब दिल्ली प्रदेश मार्का बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदो के अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौषिक की टीम द्वारा दिनांक 27.02.2021 को समय करीव 02.00 बजे गस्त/ चैकिंग के दौरान नाग द्वार के पास से दो अभियुक्त 01- गगन

पुत्र रामलखन नि० अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद, 02- रविन्द्र उर्फ बच्चा पुत्र पन्नालाल नि० न्यू हिण्डन बिहार अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को 20 अद्धे अवैध देशी शराब दिल्ली प्रदेश मार्का के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु व अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु अवैध शराब को दिल्ली से खरीदकर नषे के आदी लोगो को महगे दामो में साहिबाबाद व आसपस के क्षेत्र में बिक्रि करते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. गगन पुत्र रामलखन नि० अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
2. रविन्द्र उर्फ बच्चा पुत्र पन्नालाल नि० न्यू हिण्डन बिहार अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

- 1- मु०अ०सं० 320/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम गगन ।
- 2- मु०अ०स० 321/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना साहिबाबाद गाजियाबाद बनाम रविन्द्र उर्फ बच्चा ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 20अद्धे देशी शराब दिल्ली प्रदेश मार्का अवैध।



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा मोहननगर चौराहे पर चैकिंग के दौरान अर्न्तजनपदीय शातिर लूटेरा गिरफ्तार कब्जे से एक पिस्टल मय एक कारतूस मेड इन अमेरिका बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदो के अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतूर्थ महोदय के कुषल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौषिक की टीम द्वारा दिनांक 27.02.2021 को समय करीव 02.50 बजे गस्त/ चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक शातिर लूटेरा अभियुक्त - सोनू पुत्र रामकिषन नि० ग्राम महल थाना इंचौली जनपद मेरठ को एक नाजायज पिस्टल विदेशी मेड इन अमेरीका 7.45 एमएम मय एक जिन्दा कारतूस व मु०अ०सं० 1460/20 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित 1560रू० नगद व मु०अ०सं० 12/21 धारा 420 भादवि का जुर्म इकबाल किया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने निजी स्वार्थ हेतु व अपने व अपने परिवार का भरण पोषण हेतु अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर लूट व लोगो को अपने झांसे में फसाकर उनके महगे आभूषण आदि को उतरवाने का अपराध करते है को स्वीकार किया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सोनू पुत्र रामकिषन नि० ग्राम महल थाना इंचौली जनपद मेरठ ।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 322/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।

2. मु0अ0सं0 1460/2020 धारा 392,411 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 13/2021 धारा 420 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद ।
4. मु0अ0सं0 316/18 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना भोजपुर गाजियाबाद ।
5. मु0अ0सं0 117/18 धारा 392 भादवि थाना निवाडी गाजियाबाद ।
6. मु0अ0सं0 218/15 धारा 356,379 भादवि थाना परिक्षतगढ जनपद मेरठ ।
7. मु0अ0सं0 668/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मोदीनगर गाजियाबाद ।
8. मु0अ0सं0 223/18 धारा 392,411,420,120बी भादवि थाना भोजपुर गाजियाबाद ।
9. मु0अ0सं0 62/15 धारा 379 भादवि थाना परिक्षतगढ जनपद मेरठ ।
10. मु0अ0सं0 299/18 धारा 294,411 भादवि थाना भोजपुर गाजियाबाद ।
11. मु0अ0सं0 250/15 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन मेरठ ।
12. मु0अ0सं0 275/16 धारा 392,411 भादवि थाना खतौली मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक पिस्टल नाजाजय मेड इन अमेरिका 07.45एमएम
2. एक जिन्दा कारतूस मेड इन अमेरिका 07.45एमएम
3. 1560/-रु0 सम्बन्धित मु0अ0सं0 1460/20 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित ।
4. मु0अ0सं0 13/21 धारा 420 भादवि थाना सा0बाद में झांसा देकर 07 सोने की चुडियां उतरवाने का जुर्म इकबाल किया है ।



थाना कविनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले शातिर दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से 48 पक्के अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 26.02.21 को समय 18.30 बजे शमशान घाट का गेट जनता कालोनी थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त गण (1) शिवनन्दन पाठक पुत्र रामकिशन पाठक नावसी सुभाष का अंग्रेजी शराब का ठेका शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद व (2) बृजेश कुमार पुत्र तिलकधारी निवासी एफ के 7 सै0 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 48 पक्के अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद हुई अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 295/21 धारा 60/63 EX ACT व मु0अ0सं0 296/21 धारा 60/63 EX ACT पंजीकृत किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त गण शातिर किस्म का अपराधी है जो हरियाणा राज्य की शराब की अवैध रूप से तस्करी कर अवैध धन अर्जित करते है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- (1) शिवनन्दन पाठक पुत्र रामकिशन पाठक नावसी सुभाष का अंग्रेजी शराब का ठेका शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष शिक्षा 10 वी पास ।
- (2) बृजेश कुमार पुत्र तिलकधारी निवासी एफ के 7 सै0 23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद उम्र 34 वर्ष शिक्षा 12वी पास ।

बरामदगी का विवरण -

48 पक्वे अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का

अभियुक्तों का आपराधित इतिहास-

1-मु0अ0सं0 295/21 धारा 60/63 EX ACT थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम शिवनन्दन पाठक

2-मु0अ0सं0 295/21 धारा 60/63 EX ACT थाना कविनगर गाजियाबाद बनाम बृजेश कुमार



थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मय नशीला पाउडर सहित गिरफ्तार

कार्यवाही- श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उर्फ छोटे पुत्र ओमकार सिंह उर्फ लोधी निवासी ग्राम चिरोडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को मय 110 ग्राम एल्प्राजोलम नाजायज पाउडर के साथ चिरोडी मैन रोड से डगरपुर जाने वाली रोड लोनी हल्का चौकी चिरोडी से दिनांक 26.02.2021 को शाम को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

धर्मेन्द्र सिंह उर्फ छोटे पुत्र ओमकार सिंह उर्फ लोधी निवासी ग्राम चिरोडी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-232/2021 धारा 8/21 एन डी पी एक्ट थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

110 ग्राम एल्प्राजोलम नाजायज नशीला पाउडर बरामद



थाना लोनी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त मय अवैध शराब सहित गिरफ्तार

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा दो नफर अभियुक्त सिराजूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन नि0 मौहल्ला टोली म0नं0 519 थाना लोनी गाजियाबाद 2. सलमान S/O सहाबुद्दीन नि0 टोली मौहल्ला थाना लोनी गा0बाद को मय जिसमें 50 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ कस्बा चौकी के सामने लोनी हल्का चौकी कस्बा से दिनांक 26.02.2021 को देर रात्रि गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1-सिराजूद्दीन पुत्र निजामुद्दीन नि0 मौहल्ला टोली म0नं0 519 थाना लोनी गाजियाबाद
- 2- सलमान S/O सहाबुद्दीन नि0 टोली मौहल्ला थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 236/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

50 पच्चे देशी शराब नाजायज हरियाणा मार्का बरामद होना



थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मय एक चोरी की मोटर साइकिल एवं अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार

कार्यवाही- श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त सागर गुज्जर पुत्र परशुराम उर्फ परसे निवासी- राम पार्क कालोनी खन्ना नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को मय एक चोरी की मोटर साइकिल रजि0 नं0 DL 5S CD 1593 व 50 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ भगत सिंह गेट चौकी खन्ना नगर लोनी हल्का चौकी खन्ना नगर से दिनांक 26.02.2021 को देर रात्रि गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1- सागर गुज्जर पुत्र परशुराम उर्फ परसे निवासी- राम पार्क कालोनी खन्ना नगर थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1 मु0अ0 स0 237/2020 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी गा0बाद
मु0अ0स0 238 /2021 धारा 60/63 आ0 अधि0 थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

एक चोरी की मोटर साइकिल रजि0 नं0 DL 5S CD 1593 व 50 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद होना



थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मय अवैध शराब सहित गिरफ्तार

कार्यवाही- श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त हसनेन उर्फ अयान S/O अबदुल अजीज R/O पूजा कालोनी अन्सार मस्जिद के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को मय 50 देशी शराब हरियाणा मार्का के साथ अंसार विहार लोनी हल्का चौकी डी एल एफ से दिनांक 27.02.2021 को प्रातः गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1-हसनेन उर्फ अयान S/O अबदुल अजीज R/O पूजा कालोनी अन्सार मस्जिद के पास थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1.मु0 अ0 सं0239/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

50 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद होना



थाना कविनगर पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या का सनसनी खेज षडयन्त्र स्वयं पति द्वारा रचने व षडयन्त्र में सहयोग देने वाला शातिर अभियुक्त भी गिरफ्तार तथा अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचे मय 05 जिन्दा कारतूस बरामद

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 26.02.21 को समय 16.30 बजे चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 286/2021 धारा 115 भादवि में वांछित अभियुक्त गण (1) अजय यादव पुत्र हरिभुवन यादव निवासी आई एस 5 महेन्द्रा एन्कलेव शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर जन आजनमगढ व (2) रामप्रकाश पुत्र छेलबिहारी निवासी गली नं0 7 राजेश के मकान में किराये पर थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल पता गांव जरारा थाना सुरीर जनपद मथुरा को मोटर साईकिल नं0 UP14AR4951 सहित डायमण्ड मैरिज होम के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण उपरोक्त के कब्जे से दो तमंचे 315 बोर व 5 जिन्दा कारतूस बरामद हुए अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना कविनगर पर क्रमशः मु0अ0सं0 293/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 294/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त अजय यादव शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का षडयन्त्र करने की योजना अपने साथी रामप्रकाश से मिलकर बनायी गयी एवं रामप्रकाश द्वारा षडयन्त्र में शामिल होने की सहमति देकर गजराज नाम के व्यक्ति से अजय यादव की पत्नी की हत्या करने की सुपारी तय करवाना तथा तय योजना के अनुसार गजराज द्वारा अजय यादव के घर पर जाकर रैकी करना एवं हत्या के इरादे से घर में घुसना जहां अजय यादव की पत्नी की गोद में बच्चे को देखकर बिना हत्या किये वापस आ जाना तथा गजराज द्वारा पुनः अजय यादव एवं रामप्रकाश के साथ मिलकर दोनों से हत्या करने हेतु अवैध अस्लाह की मांग करना। योजना के अनुसार अजय यादव एवं रामप्रकाश द्वारा दो अवैध तमंचे व कारतूसों का इंतजाम कर गजराज को देते जाते समय पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग गिरफ्तार किये गये। थाना कविनगर पुलिस की तत्परता से की गयी कार्यवाही से पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की रची गयी साजिश नाकामयाब हुई। अभियुक्त गण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

(1) अजय यादव पुत्र हरिभुवन यादव निवासी आई एस 5 महेन्द्रा एन्कलेव शास्त्रीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद मूल पता ग्राम नन्दाव थाना सरायमीर जन आजमगढ उम्र 35 वर्ष शिक्षा एम बी ए।

(2) रामप्रकाश पुत्र छेलबिहारी निवासी गली नं0 7 राजेश के मकान मे किराये पर बागू थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 37 वर्ष शिक्षा Bsc.

बरामदगी का विवरण-

1. 02 तमंचे .315 बोर मय 05 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज ।
2. मोटर साईकिल नं0 UP14AR4951

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय यादव-

- 1- मु0अ0सं0 293/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 286/2021 धारा 115 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रामप्रकाश-

- 1- मु0अ0सं0 294/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 286/2021 धारा 115 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 55 ग्राम नशीला पाउडर अलप्राजोलम अवैध व एक अदद चाकू बरामदा

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 27.02.2021 को समय 08.30 बजे जीजी फार्म हाउस से 80 फुटा रोड पर शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त जुबैर पुत्र कल्लू नि0 गली न0 6 ईदगाह के पास शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को मय 55 ग्राम नशीला पाउडर अलप्राजोलम अवैध व एक अदद चाकू सहित गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि साहब मेरे पास अल्प्राजोलम पाउडर है जिसे बेचकर मैं अपना खर्चा चलाता है तथा अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रखता हू। अभियुक्त उपरोक्त से अल्प्राजोलम पाउडर व चाकू रखने के लाईसेंस के बारे मे पूछा तो नहीं है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. जुबैर पुत्र कल्लू नि ईदगाह के पास शहीद नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 6 गली न0 0 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

01. मु0अ0स0 324/21 धारा 8/21 NDPS Act बनाम जुबैर उपरोक्त

02. मु0अ0स0 325/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम जुबैर उपरोक्त

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त जुबैर के कब्जे से 55 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम अवैध व एक अदद चाकू अवैध बरामदा



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 24 पच्चे नाजायज अंग्रेजी शराब नाजायज हरियाणा मार्का के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 27.02.2021 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त शाहरूख को 24 पच्चे अंग्रेजी शराब नाजायज हरियाणा मार्का के साथ मेडीकल तिराहा के पास, थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- शाहरूख पुत्र अब्बास निवासी चांदमारी झुग्गी झोपड़ी जनपद गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 213/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

1. 24 पच्चे नाजायज अंग्रेजी शराब नाजायज हरियाणा मार्का



थाना कविनगर पुलिस द्वारा महिला से छेडछाड के अपराध मे वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 26.02.21 को थाना कविनगर के मु0अ0सं0 297/2021 धारा 354/354क(1)(I) /354घ/323 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त हेमन्त पुत्र विजयपाल निवासी शादीपुर थाना पिसावा जिला अलीगढ को NDRF रोड थाना कविनगर क्षेत्र से समय 20.30 बजे मय कार नं0 UP14BH 4839 के गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त द्वारा वादिया का पीछा करना तथा वादिया के साथ छेडछाड कर उसके साथ मारपीट करने का अपराध किया है जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 297/2021 धारा 354/354क(1)(I) /354घ/323 भादवि पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

हेमन्त पुत्र विजयपाल निवासी शादीपुर थाना पिसावा जिला अलीगढ उम्र 29 वर्ष शिक्षा बीए.

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

- 3- मु0अ0सं0 297/2021 धारा 354/354क(1)(I) /354घ/323 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से कुल 210 अवैध नशीली गोलिया अलप्राजोलम व एक अदद चाकू नाजयज बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 27/02/2021 को सादिक की पुलिया चौकी क्षेत्र कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त इमरान उर्फ चौहिया पुत्र अलीम गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 210 नशीली गोलिया अलप्राजोलम व एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुयी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर क्रमशः मु0अ0सं0-135/2021 धारा 8/22 एनडीपीएक्ट व मु0अ0सं0 136/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम इमरान उर्फ चौहिया पंजीकृत है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि साहब मैं इन गोलियों को सस्ते दामो में लाकर यहाँ पर नशे के आदी व्यक्तियों को ऊँचे दामो में बेचकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- अभियुक्त इमरान उर्फ चौहिया पुत्र अलीम निवासी मुख्तार होटल के पास लालटेन फैक्ट्री रोड कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब वर्ष 30

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इमरान उर्फ चौहिया उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 135/2021 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 136/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 0763/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 संदीप कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. उ0नि0 श्री विकास शर्मा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
3. का0 467 विपिन कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 210 अल्प्राजोलम की अवेध नशीली गोलियाँ बरामद
- 2- एक अदद चाकू नाजायज बरामद ।



थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा हत्या मे वांछित 01 नफर अभियुक्त को को किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा थाना सिहानीगेट के मु0अ0स0 499/20 धारा 302/201 भादवि मे वांछित अभि0 राधेश्याम कुशवाह पुत्र श्री रामसनेही कुशवाहा मूल पता गौरा बाजार थाना कटैया जिला गौपाल गंज बिहार हाल पता चन्द्रवीर के मकान मे किरायेदार अर्थला साहिवावाद गा0बाद को पुराना बस अड्डा गा0बाद से दि0 27/02/2021 को को समय 10.05 बजे मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण -

दिनांक 20/02/2020 को वादीया श्रीमति सुनीता देवी पत्नी राजेन्द्र सिंह नि0 -1/541 गली न0 5 आश्रम रोड दीनदयालपुरी नन्दग्राम गा0बाद द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 499/20 धारा 366 भादवि बनाम वाईस्तवा अभि0 कुलदीप सिंह थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था । जिसमे वादिया कि पुत्री निशा उर्फ अनामिका उम्र 18 वर्ष दिनांक 18/02/2020 को घर से लापता हो गयी थी दौराने तफ्तीश दिनांक 23/02/2020 को

मृतका निशा उर्फ अनामिका उपरोक्त की लाश अर्थला रेलवे लाईन के किनारे मिली थी विवेचना से अभि० राधेश्याम कुशवाह उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया था मृतका व अभि० में प्रेम प्रसंग था अभि० राधेश्याम कुशवाह उपरोक्त विवाहित था तथा निशा उर्फ अनामिका (मृतका) अभि० से विवाह करने का दबाव बना रही थी इसी कारण विवाद होने पर अभि० ने निशा की हत्या कर दी थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

राधेश्याम कुशवाह पुत्र श्री रामसनेही कुशवाहा मूल पता गौरा बाजार थाना कटैया जिला गौपाल गंज बिहार हाल पता चन्द्रवीर के मकान में किरायेदार अर्थला साहिवावाद गा०बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०स० 499/20 धारा 302/201 भादवि थाना सिहानीगेट गा०बाद



थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा कम्पनी के नाम से बिजली के नकली वायर आदि उत्पाद बनाकर धोखाधड़ी कर असली के रूप में बेचने वाले के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 02 नफर अभियुक्तगण को मय माल के किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिहानी गेट श्री गोपाल कृष्ण शर्मा के कुशल नेतृत्व में चैकिंग के दौरान बादी को सूचना मिली कि अभि०गण मैसर्स कृष्णा केविल एन्टरप्राइजेज 68/5B बलराम 18 क्वार्टर शाहदरा दिल्ली -110032 के मालिक अशोक कुमार व अंशुल द्वारा अपनी फैक्ट्री में HAVELLS /ANCHOR व V-GUARD के नकली तार आदि तैयार कर मारुति कार न० -DL2CBC4153 में भरकर गा०बाद में सप्लाई करने जाते वक्त अभि०गण 1. गीतबुद्धि राजा पुत्र प्रेमबुद्धि राजा नि० 185 AGCR एन्कलेव दिल्ली 2. अन्शुल पुत्र अशोक शर्मा नि० म०न० 71 गली नं० 2 फेस 5 शिव विहार करावल नगर दिल्ली-94 दि० 26.02.2021 को समय 16.20 बजे पुराना बस अड्डा से मय माल के गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ का विवरण -

दिनांक 26.02.021 को वादी श्री आशीष यादव पुत्र रतिराम यादव नि० मकान न० A 461/462 एमआई ए थाना एमआई ए जिला अलवर सिनियर सुपर वाईजर हैवल्स इन्डिया लि० द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 253/21 धारा 420 भादवि व 63/65 कांपी राइट अधि० 1957 थाना सिहानीगेट गा०बाद बनाम 1. . गीतबुद्धि राजा 2- अन्शुल उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया था । जिसमे वादी द्वारा मय हमराही मनीष जिन्दल (फिल्ड आफिसर स्पीड सर्च सिक्योरिटी ANCHOR PVT LTD) को सूचना मिली कि मैसर्स कृष्णा केविल एन्टरप्राइजेज 68/5B बलराम 18 क्वार्टर शाहदरा दिल्ली -110032 के मालिक अशोक कुमार व अंशुल द्वारा अपनी फैक्ट्री मे HAVELLS /ANCHOR व V-GUARD के नकली तार आदि तैयार कर मारुति कार न० -DL2CBC4153 मे भरकर गा०बाद मे सप्लाई करने जा रहे है थाना सिहानीगेट पुलिस के सहयोग से पुरानी बस अड्डा पर चैकिंग कर मारुति कार न० -DL2CBC4153 को रोककर चैक किया गया तो कार मे हैवल्स, V-GUARD, ANCHOR मार्का कम्पनी के नकली तार आदि सामान बरामद हुआ टीम द्वारा कार चालक गीतबुद्धि राजा व साझ मे बैठे अन्शुल उपरोक्त को कम्पनी की नकली केवल बनाकर धोखाधडी कर असली के रुप में बेचने जाते समय मय नकली माल के दिनांक 26/02/024 को समय 16.20 बजे गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गीतबुद्धि राजा पुत्र प्रेमबुद्धि राजा नि० 185 AGCR एन्कलेव दिल्ली
2. अन्शुल पुत्र अशोक शर्मा नि० म०न० 71 गली नं० 2 फेस 5 शिव विहार करावल नगर दिल्ली-94

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०स० 253/21 धारा 420 भादवि व 63/65 कांपी राइट अधि० 1957 थाना सिहानीगेट गा०बाद

बरामदगी

1. 07 बन्डल सील सर्वे मोहर (01 बन्डल नकली 4800 मीटर वायर मार्का हैवल्स, 01 बन्डल 4800 मीटर के मार्का V-GUARD , 01 बन्डल 4800 मीटर मार्का

ANCHOR, 50 डिब्बे मार्का ANCHOR, 50 डिब्बे मार्का V-GUARD, 50 डिब्बे मार्का हैवल्स, होलोग्राम 40 पीस मार्का हैवल्स व 35 पीस मार्का ANCHOR))

2. घटना मे प्रयुक्त एक गाडी नं0 DL 2C BC4153



थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पुश चोर 02 अदद छुरी ,01 अदद गढासा,02 अदद सांकल लोहे की,02 घण्टी माला भैस के गले की ,व नगदी 1800 रुपये सहित बरामदगी सहित

03अभियुक्तगण गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के कुशल आदेशानुसार चलाये गये वाँछितो के विरुद्ध अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर श्री सुनील कुमार सिंह के सफल पर्यवेक्षण में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में चैकिंग के दौरान उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद गौतम की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मछरी रोड चौराहा मोदीनगर से अभियुक्तगण 1. जीशान उर्फ इरशाद पुत्र रियाजुदीन निवासी अन्सार का मकान फुटो रोड मस्जिद के पास 30खुशहालनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ ,2तालिब पुत्र अलीमूदीन . , निवासी गढी गदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद3शफीक पुत्र अब्दुल हमीर निवासी श्यामनगर पिलोखडी थाना . लिसाडी गेट को 02 अदद छुरी ,01 अदद गढासा,02 अदद सांकल लोहे की,02 घण्टी माला भैस के गले की ,व नगदी 1800 रुपये सहित बरामदगी दिनांक 26.2.21 समय -02.35 बजे गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका – अभियुक्त गणो पशु की चोरी करना जैस अपराधी

संक्षिप्त विवरण –चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना से मछरी रोड चौराहा पर 03 नफर अभियुक्त गण को टैम्पू न0 UP 15 ET 6972 मय 02 अदद छुरी ,01 अदद गढासा,02 अदद सांकल लोहे की,02 घण्टी माला भैस के गले की ,व नगदी 1800 रुपये सहित के गिरफ्तार करना। जो थाना हाजा के मुकदमा अ0स0 72/21 धारा 380.411भादवि से सम्बन्धित है। थाना भोजपुर के मु0अ0स0 5/ धारा 379 भादवि व 21मु0अ0स0 33/ध 21 ारा भादवि 380 की घटना से सम्बन्धित भी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. जीशान उर्फ इरशाद पुत्र रियाजुदीन निवासी , फुटो रोड मस्जिद के पास खुशहालनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ 30
- 2.तालिब पुत्र अलीमूदीन निवासी गढी गदाना थाना मोदीनगर गाजियाबाद ,
3. शफीक पुत्र अब्दुल हमीर निवासी श्यामनगर पिलोखडी थाना लिसाडी गेट

बरामदगी का विवरण – (1)02 अदद छुरी , (2)01 अदद गढासा, (3)02 अदद सांकल लोहे की, (4)02 घण्टी माला भैस के गले की , (5)नगदी 1800 रुपये 5.टैम्पू न0 UP 15 ET 6972

पंजीकृत अभियोग का विवरण- -

1. अ0स0 72/21 धारा 380.411 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद
2. मु0अ0स0158/21 धारा 380 भादवि थाना मोदीनगर
3. मु5 0अ0स0/ 21धारा भादवि 379थाना भोजपुर गाजियाबाद

4. मु33 0अ0स0/ भादवि 380 धारा 21थाना भोजपुर गाजियाबाद
5. मु0अ0स0 174/21 धारा 4/25 आर्मस अधिनियम थाना मोदीनगर गाजियाबाद बनाम-जीशान उर्फ इरसाद
6. मु0अ0स0 175/21 धारा 4/25 आर्मस अधिनियम थाना मोदीनगर गाजियाबाद बनाम-तालिब
7. मु0अ0स0 176/21 धारा 4/25 आर्मस अधिनियम थाना मोदीनगर गाजियाबाद बनाम-शफीक



थाना टीला मोड पुलिस द्वारा 66 पच्चे अवैध देशी शराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध नियन्त्रण हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी चतुर्थ महोदय साहिबाबाद के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक थाना टीला मोड श्री रण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 26.2.2021 को थाना हाजा पुलिस द्वारा दौराने गश्त व देखरेख शान्ति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम व अनुपालन लोकडाउन मे सामुदायिक भवन कोयल एन्कलेव से समय करीब 18.20 बजे 2 अभियुक्तो 1. सौरभ पुत्र यशपाल नि0 मकान न0 बी 128 कस्तूरबा नगर शाहदरा दिल्ली तथा 2. गौरव उर्फ गोलू पुत्र यशपाल नि0 मकान न0 16 रसगुल्ला वाली गली बी ब्लाक गगन विहार थाना टीलामोड गाजियाबाद जिनके कब्जे से क्रमशः 36 पच्चे तथा 30 पच्चे देशी शराब शिल्पा तनु मसाले दार देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. सौरभ पुत्र यशपाल नि0 मकान न0 बी 128 कस्तूरबा नगर शाहदरा दिल्ली
2. गौरव उर्फ गोलू पुत्र यशपाल नि0 मकान न0 16 रसगुल्ला वाली गली बी ब्लाक गगन विहार थाना टीलामोड गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास अभि0गण

1. मु0अ0स0 84/21 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम सौरभ उपरोक्त
2. मु0अ0स0 85/20 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम गौरव उपरोक्त

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

अभि0 सौरव उपरोक्त से 36 पच्चे तथा देशी शराब शिल्पा तनु मसाले दार देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का
अभि0 गौरव उपरोक्त से 30 पच्चे देशी शराब शिल्पा तनु मसाले दार देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक महिला अभियुक्ता को 230 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम के गिरफ्तार ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 27.02.2021 को समय करीब 13.30 बजे सन्तोष विहार, गली नं0-3 सेवाधाम क्षेत्र में एक महिला सुमन पत्नी राजेश निवासी सन्तोष विहार नीयर अमित विहार थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद को मय 230 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम के गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर महिला अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि मैं नशीला पाउडर एल्प्राजोलम की पुडियां बनाकर चलते –फिरते राहगीरों को बेच देती हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण -

सुमन पत्नी राजेश निवासी सन्तोष विहार नीयर अमित विहार थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद, उम्र 50 वर्ष।

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0स0 130/2021 धारा 8/21 NDPS अधि0 थाना लोनी बोर्डर।

अभियुक्ता सुमन से बरामद का विवरण-

230 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को 75 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 26.02.2021 को समय करीब 20.50 बजे कृष्णा नगर सेवाधाम में चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति कुलदीप पुत्र रामस्वरुप नि0 कृष्णा विहार, ग0न0 7 थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद को मय 75 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का के गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर लाकर यहाँ चलते –फिरते राहगीरों को बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

कुलदीप पुत्र रामस्वरुप नि0 कृष्णा विहार, ग0न0 7 थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0स0 128/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना लोनी बोर्डर।

अभियुक्त कुलदीप से बरामद का विवरण-

75 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का।

थाना ट्रानिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से कुल नाजायज 96 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व

क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 26-02-21 को दौलत नगर बिजली घर के पीछे से समय 22.20 बजे अभियुक्त इलियास पुत्र अमरूद्दीन निवासी दौलत मगर खडडा कालौनी थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद को 96 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज शराब के गिरफ्तार किया गया। जिसका थाना हाजा पर अ0सं0 104/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी करके यहां लाकर मंहगे दामो पर बेचकर अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1. अभियुक्त इलियास पुत्र अमरूद्दीन निवासी दौलत मगर खडडा कालौनी थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 45 वर्ष

अ0सं0 104/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 बनाम इलियास

बरामदगी का विवरण - 96 पव्वे देशी हरियाणा मार्का नाजायज शराब

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से कुल नाजायज 40 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का व 4.5 लीटर अपमिश्रित शराब नाजायज बरामद

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 26-02-21 को सैक्टर ए-2 से मिल्क की ओर रास्ते पर से समय 21.35 बजे अभियुक्त रोहित तौमर पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद को 40 पव्वे देशी हरियाणा मार्का व 4.5 लीटर अपमिश्रित नाजायज शराब के गिरफ्तार किया गया। जिसका थाना हाजा पर अ0सं0 103/21 धारा 60/63 /72 आबकारी अधि0 272,273 भादवि पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी करके यहां लाकर मंहगे दामो पर बेचकर अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1. अभियुक्त रोहित तौमर पुत्र चरन सिंह निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 28 वर्ष

अ0सं0 103/21 धारा 60/63 /72 आबकारी अधि0 272,273 भादवि बनाम रोहित

बरामदगी का विवरण - 40 पव्वे देशी हरियाणा मार्का नाजायज शराब

**थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से कुल
नाजायज 48 पच्चे देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद**

श्री कलानिधि नैथानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी लोनी के पर्यवेक्षण में थाना ट्रोनिकासिटी पुलिस द्वारा दिनांक 26-02-21 को नवादा कट के सामने ग्राउन्ड से समय 20.30 बजे अभियुक्त शादाब पुत्र उमर मौ० निवासी ग्राम बदरपुर खादर थाना ट्रोनिका सिटी गा०बाद को 48 पच्चे देशी हरियाणा मार्का नाजायज शराब के गिरफ्तार किया गया। जिसका थाना हाजा पर अ०सं० 102/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा प्रदेश से अवैध शराब की तस्करी करके यहां लाकर मंहगे दामो पर बेचकर अपना आर्थिक लाभ प्राप्त करता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/ आपराधिक इतिहास -

1. अभियुक्त शादाब पुत्र उमर मौ० निवासी ग्राम बदरपुर खादर थाना ट्रोनिका सिटी गा०बाद उम्र 22 वर्ष

अ०सं० 102/21 धारा 60/63 आबकारी अधि० बनाम इलियास

बरामदगी का विवरण - 48 पच्चे देशी हरियाणा मार्का नाजायज शराब